राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी–थराली जनपद–चमोली,
उत्तराखण्ड–246482
E-mail :gdctalwari@yahoo.com
Website : www.gdctalwari.org

महत्वपूर्ण सूचना

महाविद्यालय के प्रवेश एवं अन्य सभी प्रकार की सूचनाऐं सूचना पट्ट के द्वारा ही दी जायेगी । अतः सभी प्रवेश इच्छुक एवं अन्य छात्र/छात्राएँ प्रतिदिन सूचना पट्ट का अवलोकन करें ।

राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी –थराली (चमोली)

विवरणिका

इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या ई–4/260/दस/97 दिनांक 29–3–97 द्वारा की गईं।चमोली जनपद के अत्यंत पिछड़े एवं ग्रामीण क्षैत्र में स्थित महाविद्यालय का उद्देश्य उच्च–शिक्षा के लिए जन –आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही ज्ञान का अर्जन,प्रसार तथा उपयोग करते हुए मध्य पिण्डर घाटी के सम्पूर्ण क्षैत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिणक एवं आर्थिक विकास में सहयोग देना हैं। विकास के पथ पर अग्रसर यह महाविद्यालय अपने दायित्व के प्रति पूर्ण सजग,सामयिक समस्याओं के समाधान के प्रति कृत संकल्प तथा चुनौतियों के प्रति निरन्तर संघर्षरत है।

रैगिंग –एक कानूनन अपराध

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षाण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्था एक रैगिंग विरोधी समिति गठिम करे,जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय,असमाजिक एवं आपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करें ।

रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किये है। इसके तहत रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्याथियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही और ढाई लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं। संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाये जाने पर अपराध की गंभीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूध निम्न कार्यवाही की जा सकती है–

1. संस्थान से निलंबन एंव निष्कासन ।
2. प्रवेश निरस्त किया जाना ।
3. शैक्षिक सुविधाओं का वापिस लिया जाना ।
4. आर्थिक दण्ड ।
5. किसी समय विशेष के लिए किसी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना।
6. न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

रैगिंग का तात्पर्य है कि:– लिखकर,बोलकर,हाव–भाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी छात्र –छात्राओं को कष्ट पहुँचाना,शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना,नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्क छात्र – छात्राओं को डराना ,धमकाना हतोत्साहित करना,उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना ,परेशान करना,मानसिक क्लेश पहुँचाना,उन्हें ऐसे कृत्य के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में भी नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दगी महसूस करते हैं या दुखी होते हैं और ऐसा करके उनके शारीरिक एंव मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना उक्त सभी कृत्य रैगिंग के अन्तर्गत माने गये हैं।

नोटः– प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वंय एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित रू0 10:00के स्टाम्प पेपर पर रैगिंग विरूद्व शपथ पत्र अनिवार्यतः जमा करना होगा।

महाविद्यालय में प्रवेष प्रकिया एवं नियम

1. वर्ष 2023–24 के लिए बी0ए0 /बी0एस0सी0 /एम0ए0 समस्त सेमेस्टर के आवेदन समर्थ पोर्टल द्वारा पंजीकृत किये जायेगे जिसका लिंक https://ukadmission.samarth.ac.in/ है। प्रवेश आवेदन की प्रतिलिपि महाविद्यालय कार्यालय जमा करना होगा।
2. प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय के प्रवेश मैरिट लिस्ट में आने पर प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन प्रतिलिपि व उसके साथ निम्नांकित स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय–कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. विगत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. अन्तिम विद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ।व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा करने वाले प्रवेशार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी संसद /विधान सभा परिषद नगरपालिका अथवा जिला परिषद के अध्यक्ष से चरित्र प्रमाण–पत्र लेकर संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. आयु प्रमाण–पत्र के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछडी जाति के एवं अन्य वर्ग आरक्षण संबधी प्रवेशार्थी सक्षम अधिकारी का समक्ष अधिकारी का (जिसका पद तहसीलदार से कम न हो) तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।
7. क्रीडा तथा अन्य पाठय सहगामी क्रियाओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ।
8. अन्तिम विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) मूल रूप में।
9. पासपोर्ट आकार के नवीन 03 फोटो।
10. प्रवेशार्थी जो गत वर्ष इस महाविद्यालय के छात्र रहे है उन्हे निर्धारित प्रवेश प्रार्थना–पत्र के साथ परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि , निर्धारित फोटो तथा रैगिगं विरूद्व शपथ पत्र संलग्न पर्याप्त हेागा।
11. उत्तराखण्ड के अन्य जिलो व अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पुलिस प्रमाण–पत्र जिले की स्थिति में सम्बन्धित व राज्य की स्थिती में संबन्धित जिले के पुलिस अधिक्षक से प्रमाण पत्र।
12. समिति प्रवेश के लिए उपयुक्त प्रवेशार्थी का साक्षात्कार करने के पश्चात सफल प्रवेशार्थी को प्रवेश प्राचार्य के आदेश स्वीकृती के निर्मित संस्तुत करेगी।

13. प्रवेशार्थी का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति महाविद्यालय में ऑनलाइन शुल्क की रसीद जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा। नवीन प्रवेश नियमान्तर्गत होगे।

शुल्क

शासन द्वारा स्वीकृत शुल्क की दरें एवं छात्र शेष की दरें निम्नवत है। परीक्षा शुल्क की दरें विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की जाएगी। शुल्क दरों में परिवर्तन की स्थिति में नई दरें लागू होगी।

वार्षिक शुल्क की दरें(कोषागार)	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
शिक्षण शुल्क	—	180,00
महगाई शुल्क	240	240
प्रवेश/पुनः शुल्क	6	6
विकास शुल्क	20	20
पुस्तकालय शुल्क	3	10
टी0सी0 शुल्क(नवीन एवं प्रथम सेमेस्टर हेतु)	2	2
प्रयोगात्मक शुल्क(प्रयोगात्मक विषय से सम्बन्धित हेतु)	240	—
पंखा शुल्क	05	5
वार्षिक छात्र निधियों की शुल्क विवरण		
किडा शुल्क	200	200
वाचनालय शुल्क	30	30
परिचय पत्र	25	25
निर्धन छात्र सहायता	10	10
छात्र संघ	50	50
महाविद्यालय दिवस	20	20
विभागीय परिषद	50	50
सास्कृतिक परिषद	50	50
रोवर्स रेजर्स	60	60
विविध शुल्क	100	100
महाविद्यालय प्रागण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	20	20
काउन्सलिंग सेल शुल्क	30	30
शिक्षक अभिभावक शुल्क	30	30
कम्प्युटर रखरखाव	70	70
प्रयोगशाला सामग्री	60	
जनरेटर शुल्क	50	50
विद्युत शुल्क	60	60
प्रशाधन शुल्क	50	50

प्रवेश नियम

प्रत्येक सत्र में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश अनुमन्य होंगे। शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों में परिवर्तन की स्थिति में नवीन नियम लागू होंगे ।

1. बी0ए0 एवं बी0एस0—सी0 प्रथम सेमेस्टर में (विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार)साक्षात्कार एवं योग्यता क्रम में चयनित श्रेष्ठता(मैरिट) के आधार पर होगा । महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा सीट संख्या निर्धारित है जिसमें स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान विषय में 80—80सीटें तथा अन्य विषयों में 60 एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान में 60 तक जोकि पी0सी0एम0 एवं जेड0बी0सी0 में क्रमशः 20 एवं 40 होगी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी व राजनीति विज्ञान विषय में 60—60 सीटें होंगी।
2. प्रवेश के उपयुक्त अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि की जानकारी सूचना पट्ट से ज्ञात करेंगे। साक्षात्कार की तिथि को अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा उच्च प्रतिशत होने की स्थिति में भी बाद में स्वीकार्य नहीं होगा ।
3. .प्रवेश के पूर्व ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र जमा कर देना चाहिए अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. संस्थागत विद्यार्थी के रूप में केवल उत्तीर्ण विद्याथियों को ही प्रवेश दिया जायेगा ।अनुत्तीर्ण अथवा अन्य किसी कारण परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे वे विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुरूप छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।
5. .जिस विद्यार्थी की गतिविधियां अनुशासन मंडल के विचार में अवांछनीय है। उन्हें प्रवेश देने में प्रतिबंधित किया जा सकता है।
6. बी0ए0 एवं बी0एस0 सी0—प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आवेदन हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में क्रमशःकम से कम 40 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
7. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति देनी अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश संबधी कोई सूचना देने के लिए सूचना पट्ट का प्रयोग करेगा । प्रवेशार्थी का यह दायित्व होगा कि वे समय समय पर सूचनायें के सूचना पट्ट से सूचनायें स्वंय ही प्राप्त करते रहे।
10. गलत एवं अपूर्ण सूचनायें देने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।त्रुटिवश /गलत तथ्यों के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर प्राचार्य/प्रवेशाधिकारी को उस अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं लेगा और नहीं किसी उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यदि कोई छात्र नियम का उल्लघंन कर परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी ।

अनु 0जाति / अनु0 जनजाति /पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण

1. नियमानुसार प्रवेश इस प्रतिबन्ध के साथ देय होगा कि वे प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखते है तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
2. अनुसूचित जाति के लिए 19प्रतिशत, .अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत ,तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।इसके अतिरिक्त उक्त श्रेणियों में निम्न प्रकार से हारिजेन्टल आरक्षण देय होगा।महिलायें 20 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 2 प्रतिशत, दिव्यांग 3 प्रतिशत एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2 प्रतिशत।

अनिवार्य विषयः– बी0 ए0 के छात्रों को अनिवार्य रूप से अंग्रजी भाषा,हिन्दी भाषा,पर्यावरण विज्ञान और अंग्रेजी अथवा हिन्दी सम्प्रेषण का विभिन्न सेमेस्टरों में अध्ययन करना होगा।इसी प्रकार बी0 एस–सी0के छात्रों को अनिवार्य रूप से पर्यायवरण विज्ञान और अंग्रेजी सम्प्रेशण का विभिन्न सेमेस्टरों मे अध्ययन करना होगा। जैसा की विषविद्यालय द्वारा निर्धारित हे।

अध्ययन विषय –महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं विज्ञान के अन्तगर्त निम्नांकित विषयों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था हैं।

1. स्नातक स्तर (कला संकाय)– हिन्दी ,अंग्रजी संस्कृत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं इतिहास,अर्थशास्त्र ।
2. स्नातक स्तर (विज्ञान संकाय)ः जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान ,भौतिक विज्ञान तीन विषय चयन
3. स्नातकोत्तर स्तर (कला संकाय)ः–हिन्दी एवं राजनीतिक विज्ञान। (केवल 01 विषय का चयन)

महाविद्यालय में विषयवार सीटों का विवरण

क्र0सं0	स्नातक स्तर कला संकाय (विषय का नाम)	सीटें	क्र0सं0	स्नातक स्तर विज्ञान संकाय (विषय का नाम)	सीटें
1	हिन्दी	80	1	वनस्पति विज्ञान	40
2	राजनीति विज्ञान	80	2	जन्तु विज्ञान	40
3	संस्कृत	60	3	रसायन विज्ञान	60
4	अंग्रेजी	60	4	भौतिक विज्ञान	20
5	समाजशास्त्र	60	5	गणित	20
6	इतिहास	60	6		
7	अर्थशास्त्र	60	7		

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय(विषय का नाम)	सीटें
1	हिन्दी	60
2	राजनीति विज्ञान	60

छात्रवृत्तियॉ

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछडी जाति/अल्पसंखक वर्ग के छात्रों के लिए– यह छात्रवृत्ती उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है। जो महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं के नियमित छात्र है । इन छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जाति एवं आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से (जिनका स्तर तहसीलदार से कम न हो) से प्राप्तकर समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट www.escholarship.uk.gov.in पर आनलाईन आवेदन के पश्चात महाविद्यालय में जमा करें।

पुस्तकालय वितरण एवं पुस्तकालय सम्बधी नियम

पुस्तकालयः– पुस्तकालय खुलने का समय प्रातः 10 बजे से सायः 04:30 बजे तक पुस्तक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने परिचय – पत्र एवं बारकोट आई0डी0 कार्ड प्रस्तुत करना होगा इसके बिना पुस्तके नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों को एक समय में कुल मिलाकर छः ही पुस्तके मिलेगी। प्रभारी पुस्तकालय /विभागाध्यक्ष द्वारा मागे जाने पर विद्यार्थी को निर्गत पुस्तके वापस करनी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित अवस्था में रखने का दायित्व विद्यार्थियों का होगा। पुस्तकों के फट जाने गन्दी हो जाने पर

अथवा किसी भांति नष्ट हो जाने पर विर्धार्थियों को निर्गत नही की जायेगी । समस्त पुस्तको को परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व वापस करना होगा।

नोटः पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व वापस करनी होगी।

वाचनालय : महाविद्यालय में छात्रों के लिए दैनिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था है जिन्हें विद्यार्थी अपना परिचय पत्र जमा करके पुस्तकालय भवन में ही वाचनालय से पढ सकते है।

बुक बैक :– महाविद्यालय के बुक बैक द्वारा विभिन्न विषयों की नवीनतम पाठय पुस्तके अंकित मूल्य के मात्र 10 प्रतिशत भुगतान पर छात्र/छात्राए इसका समुचित लाभ उठा सकते है।

क्रीडाः महाविद्यालय में विभिन्न कीडाओं के लिए (खेल मैदान के अतिरिक्त) उपयुक्त व्यवस्था है। छात्र/छात्रए इसका समुचित लाभ उठा सकते है।

विभागीय परिषदः महाविद्यालय में कला संकाय एवं विज्ञान संकाय की विभागीय परिषद होती है और सम्बन्धित सकाय के समस्त छात्र/छात्राए परिषद के सदस्य होते है। विभागीय परिषद के तत्वाधान में निबन्ध एवं वाद विवाद प्रतियोगिताए विचार –गोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उपयोगी किया–कलाप आयोजित किए जाते है।एवं विजेताओं को महाविद्यालय दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है।

व्याख्यानः– छात्र/छात्राओं के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्वि के लिए समय –समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सुयोग्य तथा लोकप्रिय विद्वानों के व्याख्यान आयेाजित किए जाते हैं।

राष्टीय सेवा येाजना :– इसके अन्तगर्त समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम तथा –श्रमदान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य आदि सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में एन0एस0एस0में अधिकृत प्रवेश 200 है।

महाविद्यालय पत्रिकाः– गत वर्षो से महाविद्यालय पत्रिका बुरांश का प्रकाशन किया जा रहा है। इस वर्ष महाविद्यालय पत्रिका के संयुक्तांक का प्रकाशन किया जा रहा है। वस्तुत इस पत्रिका का उददेश्य विद्यार्थियों में लेखन प्रतिभा का सम्यक विकास करना हैं।विद्यार्थी प्रवेश लेने के दो माह पश्चात अपनी रचनाए व लेख पत्रिका –सम्पादन मण्डल को उपलब्ध करा दें। विद्यार्थी को सम्पादको से रचना व लेख आदि के लिए परामर्श भी कर लेना चाहिए। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थियों को छात्र–छात्रा सम्पादक भी नियुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी रचनाए फुल स्केप कागज पर समुचित हाशिया छोडकर ही सुलेख बद्व करना चाहिए।

स्थानान्तरण,चरित्र प्रमाण पत्रः उक्त प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना चाहिए। सामान्यतह प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र देने की तिथि के दो–तीन दिन में दिया जायेगा।

अभिभावक शिक्षक एसोशियेशन (पी0टी0ए0):– महाविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अभिभावक शिक्षक एसोशियेशन (पी0टी0ए0) का गठन प्रतिवर्ष किया जाता हे।

छात्रसंघः– छात्रसंद्य का गठन लिंगदोह कमेठी की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत किया जायेगा ।

शास्ता/अनुशासन मण्डल :– महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन मण्डल हे। प्रत्येक छात्र को अपना परिचय पत्र अनुशासन मण्डल से प्राप्त कर हर समय अपने पास रखना चाहिए। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में रू0 50 महाविद्यालय में जमा कर पुनः दूसरा परिचय पत्र बनवाया जा सकता हे।

गम्भीर अनुशासन सम्बन्धी बातें जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगीः–

1. रैगिंग एक अपराध हैं।
2. प्राचार्य अनूशासन मण्डल एवं प्राध्यापको द्वारा मागने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न करना।
3. महाविद्यालय/कार्यालय शिक्षण कक्षों पर चुनाव अवधि शेष समय कुछ लिखना ,रंगना , पोस्टर चिपकाना।
4. महाविद्यालय में फर्नीचर आदि की तोडफोड तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुचाने की चेष्टा करना।
5. महाविद्यालय के सूचना पटट पर बिना प्राचार्य की अनुमति के विद्यार्थियों द्वारा नोटिस चिपकाने की चेष्टा करना।
6. बिना प्राचार्य की अनुमति के घण्टी बजाना, विद्यार्थियों को शिक्षण–कक्षों से बाहर निकलना तथा भाषण करना या जुलूस निकालने की चेष्टा करना।

विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देशः–

1. समयानुसार विशेष प्रकार की सूचना के लिए विद्यार्थियों को सूचना पटट् एवं महाविद्यालय की वेबसाइट लिंक https://gdctalwari.org/ पर लगी सूचनायें पठने का विशेष ध्यान रखना चाहिये।
2. विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेगें और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बनाये रखने तथा बढाने में हर सम्भव सहयोग देगे।
3. विद्यार्थियों को अपने विभिन्न कार्यो हेतु सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापको से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार कक्षाओं में उपस्थित रहकर 75 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के तुरन्त पश्चात मुख्य शास्ता से सम्पर्क कर परिचय पत्र बनाना एवं सदैव अपना परिचय पत्र बनाना एवं सदैव अपना परिचय पत्र दिखाया जा सकें।
6. किसी भी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय की सीमा में किसी भी हडताल को आश्रय देना अनुशासन भंग करने की कार्यवाही मानी जाएगी तथा विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय से स्वतः/तथ्यतः निष्कासित हो जायेगा।
7. परिचय पत्र के बिना पुस्तकालय से पुस्तके निर्गत नही हो सकेगी।
8. जिन विभागों में प्राध्यापको के पद रिक्त है उनमें विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश ले सकते है। सत्र के दैारान पदों पर नियुक्ति न होने पाने का दायित्व महाविद्यालय का नही होगा।

9. सामान्यतः प्रथम तृतीय एवं पचम सेमेस्टर की परीक्षाए दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित होती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा निर्णय की जानकीरी छात्र/छात्राओं को नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।

उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त शासन /विश्वविद्यालय/महाविद्यलय या अन्य सूचनाऐं नोटिस बोर्ड व महाविद्यालय की वेबसाइट लिंक https://gdctalwari.org/ तथा महाविद्यालय वॉटसएप ग्रुप पर देख सकतें है।

नोट– निर्देशिका में कोई त्रुटि होने पर महाविद्यालय निर्देशिका प्रति मान्य होगी।

महाविद्यालय स्टाफ

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1	डॉ0 योगेन्द्र चन्द्र सिंह	प्राचार्य

शिक्षक वर्ग– विज्ञान संकाय		
क्र0 सं0	**विभाग**	**नाम**
1.	वनस्पति विज्ञान	डॉ प्रतिभा आर्य
2.	भौतिक विज्ञान	डॉ0 नीतू पांडे
3.	रसायन विज्ञान	श्री शंकर राम
4.	जन्तु विज्ञान	डॉ0 निशा ढौंडियाल (अतिथि शिक्षक)
5.	गणित	श्री कुलदीप जोशी (अतिथि शिक्षक)

शिक्षक वर्ग– कला संकाय		
क्र0 सं0	**विभाग**	**नाम**
1.	इतिहास	श्री अनुज कुमार
2.	अर्थशास्त्र	श्री रजनीश कुमार
3.	राजनीति विज्ञान	डॉ0 ललित जोशी
4.	हिन्दी	डॉ0 पुष्पा रानी
5.	राजनीति विज्ञान	श्री सुनील कुमार
6.	राजनीति विज्ञान	श्री मनोज कुमार
7.	हिन्दी	डॉ0 सुनील कुमार(अतिथि शिक्षक)
8.	अंग्रेजी	डॉ0 जमशेद अंसारी(अतिथि शिक्षक)
9.	हिन्दी	डॉ0 सुनीता भण्डारी(अतिथि शिक्षक)
10.	संस्कृत	डॉ0सन्तोष पंत(अतिथि शिक्षक)
11.	समाजशास्त्र	श्री मोहित उप्रेती(अतिथि शिक्षक)

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग		
कार्यालय		
क्रं0 सं0	नाम	पदनाम
1.	**रिक्त**	**प्रशासनिक अधिकारी**
2.	श्री प्रमेन्द्र सिंह रौथाण	वरिष्ठ सहायक
3.	श्री महिपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक–उपनल
4.	श्री पंकज रावत	अर्दलीय
5.	श्री प्रताप सिंह	अनुसेवक

प्रयोगशाला		
1.	श्री नितीश कुमार	प्रयोगशाला सहायक,रसायन विज्ञान
2.	श्री हुकुम सिंह	प्रयोगशाला सहायक, उपनल
3.	श्री धीरेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक,उपनल
4.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक
5.	पद रिक्त	लैब टैक्नीशीयन
6.	श्री रमेश चन्द्र	प्रयोगशाला अनुसेवक रसायन विज्ञान
7.	श्रीमती दीपा रावत	प्रयोगशाला अनुसेवक भौतिक विज्ञान
8.	श्री शम्भू प्रसाद चमोली	प्रयोगशाला अनुसेवक
9.	श्री गुड्डू सिंह	अनुसेवक वनस्पति विज्ञान